

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्या: 27 / 2020

RCMS No.-2020/00073

कृष्ण पुत्र स्व. श्री प्रताप, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कानेटी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तरण संख्या 245 दिनांक 20.05.1993 वाके ग्राम कानेटी, पटवार हल्का भटेरी, भू अभि. निरीक्षक जटवाडा, तहसील बस्सी जिला जयपुर में श्रीकिशन पुत्र प्रताप की जगह कृष्ण पुत्र प्रताप का नाम दुरुस्त किये जाने के संबंध में। ..

निर्णय

दिनांक: 06.11.2020

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 20.05.1993 जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 245 वाके ग्राम कानेटी तहसील बस्सी स्वीकार हुआ है जिसमें अपीलांट का नाम सहबन से कृष्ण पुत्र प्रताप के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र प्रताप दर्ज कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.10.2020 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरण तलब किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुए। तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक 3796 दिनांक 26.10.2020 से वांछित नामान्तरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किए गए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपीलान्ट का राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति पेश की गयी जो शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आगे कथन किया कि नामान्तरण संख्या 245 में वर्णित ग्राम कानेटी, तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट व उसके भाईयों को उपरोक्त वर्णित भूमि अपने पिता स्व. श्री प्रताप की विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के समय बाल्य अवस्था में था, अपीलांट की माता अनपढ होने के कारण पर अपीलाधीन नामान्तरण में गलती से अपीलान्ट को उसके घर पर बोलने वाला नाम श्रीकिशन दर्ज करवा दिया गया। जबकि अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में अपीलान्ट का नाम कृष्ण पुत्र प्रताप ही है। अपीलाधीन नामान्तरण के आधार पर अपीलांट का नाम जमाबन्दी में भी श्रीकिशन अंकित हो गया। अपीलान्ट को ग्राम कानेटी में श्रीकिशन के नाम से जाना जाता है जबकि अपीलान्ट का सरकारी रिकार्डेड नाम कृष्ण है। चूंकि अपीलान्ट एक ग्रामीण परिवेश



का काश्तकार है तथा नामान्तकरण तस्दीक होते समय बाल्यवस्था होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण में नाम की ही त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 20.05.1993 में तहसीलदार बस्सी को अपीलान्त का नाम श्रीकिशन पुत्र प्रताप की जगह कृष्ण पुत्र प्रताप अंकित करने हेतु आदेशित कर राजस्व रिकॉर्ड को सही करवाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण विधिपूर्वक व न्यायसंगत है तथा नियमों की पालना करते हुए विरासत के आधार पर ही खोला गया है इसमें केवल त्रुटिवश अपीलांत का नाम गलती से कृष्ण के स्थान पर श्रीकिशन दर्ज किया गया है जिसमें शुद्धि हेतु पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। साथ ही अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 245 ग्राम कानेटी, तहसील बस्सी अपीलांत के पिता स्व. प्रताप के फौत होने पर विरासत के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलांत एवं उसके भाईयो एवं अपीलांत की माता के नाम तस्दीक किया गया। जिसमें अपीलान्त का नाम सहबन से श्रीकिशन अंकित किया गया है जबकि अपीलान्त का सरकारी रिकार्ड नाम कृष्ण है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 245 निर्णित 20.05.1993 ग्राम कानेटी तहसील बस्सी में अंकित श्रीकिशन के स्थान पर कृष्ण दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रखे जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।